न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़
D-32/2014 भुवानीराम V/S श्यामलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म में ...
21/06/23	पत्रावली केम्प प्रतापगढ में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण एव उभयपक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा दिनांक 23.12.2015 के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6, 2/1, 2/3 व 2/5 के सम्मन नोटिस कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। इस बाबत दिनांक 23.03.2022, दिनांक 28.09.2022 व दिनांक 21.12.2022 को अन्तिम अवसर दिये गये एवं दिनांक 25.05.2022 को न्यायहित में एक अवसर भी दिया गया। इसके पश्चात भी अवसर दिये जाने के बावजूद कोई सम्मन नोटिस प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट की ओर से न तो कोई ठोस कारण प्रस्तुत किये जा रहे है ओर न ही सम्मन नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे है। न ही न्यायालय में अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट अपील की अग्रिम कार्यवाही में रूचि नही रखते है। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों की रोशनी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6, 2/1, 2/3 व 2/5 के विरूद्ध यह अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से अनुतोष चाहा गया। उनकी मृत्यु हो जाने से उनके उतराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6 को भी प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1, 2/3 व 2/5 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहे है जिनकी मृत्यु हो जाने से इस अपील में उक्त रेस्पोडेन्टगण को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6, 2/1, 2/3 व 2/5 की तलबी हेतु सम्मन नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अपील निरस्त की जा चुकी है। उक्त रेस्पोडेन्टगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6, 2/1, 2/3 व 2/5 को बिना सुने अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसलिये पत्रावली में आगे की कार्यवाही न्यायसंगत नही होगी। उपर्युक्त निर्णय से अपील सारहीन हो चुकी है। अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 एवं धारा 151 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत इसी स्तर पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली में आज बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अपीलांटगण असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुये। उपर्युक्त समस्त कारणों से अपील अपीलांटगण निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें। 21-06-2023. (मितेश श्री मालवीय) राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ केम्प-प्रतापगढ़	

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)